Manisha Kaban Panthi
Date - 10/11/20

{ Paper - 6 }

62/100

1.

महिला घरेलू हिंसा व सशक्तीकरण

भारत में नारी को देवी, श्रद्धा, अबला जैसी संबोधनो से संबोधित करने की परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इस तरह हम उसे एक और पूजनीय वस्तु बनाते हैं और दूसरी और उसे अबला कहकर उस पर जुल्म करते हैं।

घरेलू हिंसा उन में से एक उदाहरण है, अगर साफ शब्दों में बोला जायें तो महिला के द्वारा किया गया अमानवीय व्यवहार, उसे मारना, पीटना, अभद्र व्यवहार करना शारीरिक और मानसिक घाव उसी के घर के सदस्या - पति और उसके संबंधीयों द्वारा किया जाना घरेलू हिंसा है।

भारत में घरेलू हिंसा एक आम बात मानी जाती है यह हिंसा का विरोध ना तो कोई करता है क्योंकि लोग इसे घर-घर का मामला समझते है।

कई बार तो यह हिंसा इतनी गम्भीर होती है की महिलायों की मृत्यु तक हो जाती है।

प्राचीन काल में एेसा बिल्कुल भी नही था। महिलाये सम्मान योग्य थी वे युद्ध लडा

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

प्रश्न संख्या

करती थी, सभाओं में भाग लेती थी, राज्य करती थी, मंत्री मंडल का हिस्सा थी, आदि कार्य करती थी वे पुरुष के ही समान थी परंतु मुस्लिम के भारत आगमन के बाद, उन्हें ि महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखा जाने लगा उन्हें चार दीवारी में कैद रखना ही मर्द ने अपनी शानो शौकत समझा। फिर आया समय जब महिला को वह जनवर के समान माना गया।

लाखों ि महिलायें घरेलू हिंसा का शिकार हैं, इस हिंसा के कई कारण होते हैं जिसमें पुरुष प्रधान समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है — पुरुष का खुद को उच्च समझना जिससे हिंसा कर वह अपने आप को महान समझता है दूसरा, वह इसको अपने जीवन, नौकरी, आदि में चल रही दुविधाओं से मुक्त करने का जरिया मानता है, तीसरा दहेज प्रथा जो वर्षों से चली आ रही है हिंसा कर अपनी मनमानी करना, अ अपनी पत्नी को और दहेज के लिए उकसाना आदि।

ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, कुछ महिलाओं ने इसे अपना भाग्य समझ स्वीकार

किया तो कुछ ने इसके खिलाफ बगावत
कि जिसका परिणाम था –
"घरेलू हिंसा अधिनियम" 2005

"स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं है – सहधर्मिणी, अर्धांगिनी और मित्र है" – महात्मा गांधी

इसके तहत । किसी भी प्रकार की कोई हिंसा जो कि किसी सि महिला एवं बच्चे (18 वर्ष से कम आयु) के स्वास्थ्य, सुरक्षा को क्षति पहुंचाये उसका शारीरिक और मानसिक अपमान करे हिंसा कहलाती है।

इसमें एक महिला पर हिंसा उसके पति और घरेलू रिश्तेदार या संबंधी द्वारा होना।

घरेलू हिंसा के तहत प्रतिवेदियों की गिरफ्तारी तो नही होती है लेकिन इसके अंतर्गत पीड़ित महिला को भरण-पोषण, निवास एवं बच्चों के लिए अस्थायी संरक्षण की सुविधा प्रदान कि गई है।
2019 के तहत देखा जाये तो 4.05 लाख केस घरेलू हिंसा के तहत रजिस्टर्ड है ये तो सिर्फ वो है जो उजागर हुए है।

कई संस्थायें, गैर सराकारी संस्थायें इस मुद्दे पर कार्य करती हैं। हमारी समाज के लिए घरेलू हिंसा एक अभिशाप है कलंक है। महिला पर पड़ने वाले शारीरिक से ज्यादा जो मानसिक घाव है वह चिंता जनक है। कई संस्थायें इस महिलाओं को खोजती हैं उनकी मदद करती हैं अपने जीवन को सम्मान से जीना सीखाती हैं।

समाज में महिलाओं को जिंदा जलाना, उनको मारपीट कर घर से बाहर कर देना ऐसे कई घटनाएं दिन प्रतिदिन सामने आ रही हैं। जो की हमारी आने वाली पीढ़ी पर गहरा असर डालेगी। जहाँ महिलायें एक कमजोर वर्ग प्रतीत हो रही हैं।

इस चिंताजनक विषय पर एक हि व्यक्ति नहीं बल्कि मिलकर हम सबको आवाज उठानी है। घरेलू हिंसा अब किसी एक के घर की निजी बात नहीं है, हम सब की एक नागरिक के तौर पर, इंसान के तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि इसे रोके इसका विरोध करें।

सबसे बड़ा बदलाव जो हम ला सकते हैं वो है महिलाओं का सशक्तिकरण —

महिलाओं के साथ होने वाले दैनिक भेदभाव से हम सब परिचित हैं। महिलाओं को विभिन्न संविधानीय संरक्षण प्रदान है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है कि महिलाओं की शिक्षा

नारी और पुरूष दोनों हि समाज रूपी गाडी के पहियें जिसमें दोनों का संतुलना, और भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसलिए नारी का शिक्षित होना बहुत जरूरी है परन्तु कुछ रूढीवादी, पुरातन लोग महिलाओं को पैर की धूल मानतें हैं और अपने अधीन समझते हैं। परन्तु वह भूल जाते हैं कि महिलायें पुरूषों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होती हैं वह हि जीवन प्रदान करती हैं, अर्थात जननी हैं। नारी में अगर विवेक नही होगा तों कैसे वो अपनी सतान को पालेंगी।

आज की नारी पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। वें सेना, पायलट से लेकर पुलिस, वाणिज्य इत्यादि क्षेत्रों मे अपना कमाल दिखा रही हैं। लक्ष्मी बाई, सरोजिनी नायडू, कल्पना चावला, पी.वी. सींधु ये सब हि महिला सशक्तिकरण के अमूल्य उदाहरण हैं।

सरकार और समाज के प्रयत्नों से नारी-शिक्षा में प्रोत्साहन मिला है।
जेंडर बजटिंग उन्ही में से एक पहल थी जो कि 2005 में शुरू कि गई थी। जिसके तहत शिक्षा का अधिकार, स्कूलों में दाखिला इत्यादि ऐसे मुद्दों पर जोर दिया गया।

इन सब में सबसे चिंताजनक बात है महिलाओं की सुरक्षा की, महिलाएँ तभी सशक्त बनेगी जब वे सुरक्षित रहेगी। इसके लिए महिलाओं की सुविधा के लिए मोबाइल फ़ोन पर पैनिक बटन लगाना, हेल्पलाइन नम्बर प्रदान किये गये हैं।
महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय, देश की महिलाओं और बच्चों के कल्याण में सदा तत्पर है वह नित नई योजनाओं से कई तरह कि सुविधाये घर बैठे पहुचा रहा है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ', गाँव की बेटी सबला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि महिलाओं की शिक्षा के लिये प्रदान करता है।
ना सिर्फ शिक्षा, बल्कि स्टैंड अप इंडिया जैसी शुरूआत से महिलाओं का प्रोत्साहन हर क्षेत्र में कर रहा है फिर चाहे वह

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

कृषि हो, कर्पोरेट सेक्टर हो, कम मुक्त कम ब्याज पर पैसे उपलब्ध कराना हो या फिर उन्हे परामर्श उपलब्ध कराना हो।

आज के समय मे महिला पुरुषो से भी अधिक सहायक सिद्ध हो सकती है राष्ट्र निर्माण मे। यदि पुरुष भी सहयोगी रूख अपनाए तो नारी स्वावलंबी बनेगी। उसमे आत्मविश्वास का विकास होगा। एक प्रगतिशील समाज के पीछे एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण स्त्री का हाथ होता है और "आज की नारी सब पर भारी है" जो कि एक शुभ संकेत है, एक प्रगतिशील समाज के लक्षण है। नारी का सशक्तिकरण होना मतलब, सशक्त समाज है।

(13)

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

प्रश्न संख्या

8. C.

जीवन का आधार ज्ञान —

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है — "ज्ञान वही सिद्ध है जिससे मानव का हित होता है। ऐसा ज्ञान निरर्थक है, जो मानव का कल्याण ना कर सके उसके कष्ट को बढ़ाए"।

ज्ञान सत्य एक शक्ति है जो हमें जनवरों से भिन्न करती है। भोजन, निद्रा, भय यह सब इंसान और जनवरों में समान होता है। इंसानों को जो पशुओं से अलग करता है वह है ज्ञान। ज्ञान हि जीवन का आधार है बिना ज्ञान के जीवन निरर्थक है। ज्ञान आपके जीवन का उद्देश्य ज्ञात कराता है। ज्ञान उत्कर्ष का मार्ग है। ज्ञान से हि विवेक पैदा होता है, एक विवेकशील व्यक्ति ही तुलना करने योग्य होती है। बिना ज्ञान के जीवन एक कोरी किताब जैसा है या फिर उस लिखावट जैसा है जो पढ़ा हि नही जा सकता।

हर मनुष्य इस अपने जहग से हि एक उद्देश्य के साथ खड़ा होता है ये उद्देश्य

बदलते भी है, जो एक वस्त उन्हें उनके उद्देश्य को पहचानने में मदद करती है, उसे प्राप्त कराती है वह है ज्ञान। जिस प्रकार शरीर को अन्न की आवश्यकता होती है उसी प्रकार हमारी आत्मा को ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान से मनुष्य का जीवन कल्याणकारी होता है। स्वामी महावीर, बौद्ध ने कु हि नही वर्षों तप कर ज्ञान की प्राप्ति की है उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष का मार्ग पाया है। और ज्ञान मोक्ष का मार्ग है। फिर चाहे आप

यह ज्ञान ने हि कई खोज, शोधों आविष्कारों को संभव किया है। यह ज्ञान है चाहे आप इसको सही तरह से उपयोग करें या किसी और को हानि पहुचाये ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप अपने जीवन को कुछ उपहार दे सकते है तो तो ज्ञान रूपी उपहार ये सिर्फ अपने लिए नही बल्कि अपने समाज के लिए भी है। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने समाज का निर्माण करता है।

मुख्य परीक्षा
म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

कौटिल्य एकेडमी

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

प्रश्न संख्या

एक ज्ञानी व्यक्ति अर्थात एक ज्ञान परिवार, एक ज्ञानी समाज, एक ज्ञानी देश।

मनुष्य जीवन की दीप्ति ही ज्ञान है ज्ञान एक मात्र ऐसी वस्तु है तो बांटने से बढ़ती है। ज्ञान एक शक्ति है जो अपका संबल प्रदान करती है। ज्ञान से हि हमे श्रेष्ठ संस्कार मिलते है। ज्ञान हमारी जीवन का प्रेरणास्रोत है। नन्हे बालक से लेकर एक वृद्ध होने तक हमे हमारे जीवन में तरह-तरह के ज्ञान प्राप्त होते है हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। ज्ञान है, जो जीवन साकार है, मानव-मानव है

उ. c.

पराधीन सपनेहु सुख नहीं

गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा यह काव्य-पंक्ति का अर्थ है - "पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता।
पराधीन का अर्थ है - "दूसरों की इच्छा पर चलने वाला।"
फ्रांस के विद्वान रूसो ने एक बार कहा था, "मानव स्वतंत्र जन्मा है, किंतु वह प्रत्येक जगह बंधनों में बँधा है।
मनुष्य अपने मन का स्वामी बनकर जीना चाहता है और दासता से मुक्त रहने के लिए वह बड़े-से-बड़े त्याग करने को तैयार है। मनुष्य क्या पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसलिए लोकमान्य गंगाधर ने कहा था - "स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।

पराधीन व्यक्ति सदैव दूसरों की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है। और इन पराधीनता की जंजीरों में रहते हुए वह कभी एक सम्मानपूर्ण जीवन नहीं जी सकता है। पराधीन व्यक्ति का ना तो कोई आत्मसम्मान होता है ना ही कोई स्वाभिमान होता है।

कौटिल्य एकेडमी

(Mains Answer Sheet)

और इस तरह वह पशु समान होता है। पराधीन व्यक्ति का कभी भी मानसिक विकास उसके व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता क्योंकि उसे हमेशा दूसरो के अधीन रखा, उसका हुक्म माना आदि में जीवन व्यतीत हुआ है ना तो उसने स्वयं कभी उसने लिये कोई निर्णय लिया है।

पराधीनता के विभिन्न रूप होते है – राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक इत्यादि। यदि कोई व्यक्ति या राष्ट्र धन के लिए दूसरे पर निर्भर करता है, तो वह आर्थिक पराधीनता है। राजनैतिक पराधीनता को भारतीयो ने कई वर्षों तक भोगा है। सामाजिक पराधीनता से तात्पर्य – जाति बंधन दहेज प्रथा, आदि है जिन्हे मनुष्य आज भी नही त्याग पाया है।

सच बात तो यह है कि सच्ची मानवता की शुरुआत हि स्वतंत्रता से होती है। एक गुलाम और एक पूँछ हिलाते हुए पक्षी, जानवर में कोई फर्क नही होता है। जानवरो, पक्षीयो को भी स्वतंत्रता प्रिय होती है। एक पक्षी को भी अगर सोने के पिंजडे में रखा जाये, स्वादिष्ट भोजन दिया जायें तो भी वह मौका पाते हि

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

कौटिल्य एकेडमी

उड़ जायेगा।
पराधीनता दुखों की जननी है और आज के युग में यह बहुत बड़ी चुनौती है।
पराधीनता से बचने का उपाय है — संघर्ष और बलिदान। आजादी मिलती नहीं, छीनी जाती है। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, भगत सिंह, आदि इसके उदाहरण हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि कि हम आपसी फूट, बैर, ईर्ष्या, कुवट की भावनाओं को त्याग कर ताकि हम स्वाधीन हो सके।
जिसने मरना सिख लिया है, जीने का अधिकार उसी को।
जो काँटो के पथ पर आया, फूलों का आहार उसी को।